हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 3 अप्रैल, 2023

संख्या वि0स0–विधायन विधेयक/1–36/2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान निरसन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 3 अप्रैल, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र, में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/–
यशपाल,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2023 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान (निरसन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 का निरसन।

3. व्यावृत्ति।

2023 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान (निरसन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 5) का निरसन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान (निरसन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 का निरसन.**––हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021(2021 का अधिनियम संख्यांक 5) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

3. **व्यावृत्ति.**––धारा 2 के अधीन अधिनियम के निरसन से उक्त अधिनियम के पूर्ववर्ती प्रचालनों पर या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परंतु इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रदत्त किए जा रहे किसी अधिकार, विशेषाधिकार हक, सुविधा, प्रसुविधा या सम्मान राशि को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् जारी नहीं रखा जाएगा।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 5) को वर्ष 2021 में अधिनियमित किया गया था । अब यह विनिश्चय किया गया है कि अधिनियम के अधीन प्रदान की जा रही सम्मान राशि या किन्हीं अन्य प्रसुविधाओं को बंद कर दिया जाए और इस अधिनियम को निरसित कर दिया जाए क्योंकि इस अधिनियम को अब कानूनी पुस्तकों में रखने से कोई भी प्रयोजन हल नहीं होगा । अतः इस प्रयोजन के लिए निरसन विधेयक लाना प्रस्तावित है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला..........

तारीख........................., 2023

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH LOKTANTRA PRAHRI SAMMAN (REPEALING) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.

2. Repeal of the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021.

3. Saving.

Bill No. 6 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH LOKTANTRA PRAHRI SAMMAN (REPEALING) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021 (Act No. 5 of 2021).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy–fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman (Repealing) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st April, 2023.

2. Repeal of the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021.—The Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021 (Act No. 5 of 2021), is hereby repealed.

3. Saving.—The repeal of the Act under section 2, shall not affect the previous operations of the said Act or anything duly done or any action taken thereunder:

Provided that any right, privilege, title, facility, benefit or Samman Rashi being granted under the Act so repealed shall not continue after the commencement of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021 (Act No. 5 of 2021), was enacted in the year 2021. Now it has been decided that the Samman Rashi or any other facility being granted under the Act be discontinued and the said Act be repealed as no purpose will be achieved by retaining this Act in the Statutory Book. Thus, there is a proposal to bring a Repealing Bill for the purpose.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:
The _________ , 2023.